"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 21] रायपुर, बुधवार, दिनांक 20 जनवरी 2016— पौष 30, शक 1937

वित्त विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 20 जनवरी 2016

अधिसूचना

क्रमांक 02/एल 8-9 (पार्ट)/2016/वित्त/वि.आ.प्र. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 243-झ के खण्ड (1) सहपठित यथा संशोधित छत्तीसगढ़ राज्य वित्त आयोग अधिनियम, 1994 (क्रमांक 3 सन् 1994) की धारा 3 के अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, राज्य वित्त आयोग का गठन करते हैं, जिसमें श्री चन्द्रशेखर साहू, अध्यक्ष तथा श्री नरेश चन्द्र गुप्ता, सदस्य होंगे.

2. आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्य, जिस तारीख पर वे अपने-अपने पद ग्रहण करते हैं, उस तारीख से 31 जनवरी, 2017 तक पद धारण करेंगे.

3. निर्देश पद (टी.ओ.आर.) के संबंध में पृथक से अधिसूचना जारी की जायेगी.

4. आयोग, उपरोक्त पैरा 3 में निर्दिष्ट अधिसूचना में उल्लिखित प्रत्येक विषय पर, 1 अप्रैल, 2017 से प्रारंभ होने वाली 5 (पांच) वर्ष की कालावधि के लिए अपनी रिपोर्ट 31 जनवरी, 2017 तक या उसके पूर्व उपलब्ध करायेगा. आयोग यह भी उपदर्शित करेगा कि किस आधार पर उसने निष्कर्ष निकाले हैं.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. सिंह , उप-सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 20 जनवरी 2016

क्रमांक 03/एल 8-9 (पार्ट)/2016/वित्त/वि.आ.प्र. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 02/एल 8-9 (पार्ट)/2016/वित्त/वि.आ.प्र., दिनांक 20-01-2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. सिंह , उप-सचिव.

Naya Raipur, the 20th January 2016

NOTIFICATION

No. 02/ L 8-9 (Part) 2016/Fin/FCC. — In exercise of the powers conferred under clause (1) of Article 243-I of the Constitution of India read with Section 3 of the Chhattisgarh Rajya Vitta Ayog Adhiniyam, 1994 (No. 3 of 1994), as amended, the Governor of Chhattisgarh, hereby, constitutes the State Finance Commission consisting of Shri Chandrashekhar Sahu as Chairman and Shri Naresh Chandra Gupta as Member.

2. The Chairman and Member of the Commission shall hold office from the date on which they respectively assume office upto 31st January, 2017.

3. The Notification in respect of terms of reference (TOR) shall be issued separately.

4. The Commission shalll make its report available on or before 31st January, 2017 on each of the matters mentioned in the notification referred in para 3 above, covering a period of 5 (five) years commencing on the first day of April, 2017. The Commission shall indicate the basis on which it has arrived at its findings.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
A. K. SINGH, Deputy Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2016.